THE UTTAR PRADESH PUBLIC PREMISES (EVICTION OF CERTAIN UNAUTHORISED OCCUPANTS) ACT, 2010[1]

(U.P. ACT NO. 12 OF 2010)

ARRANGEMENT OF SECTIONS

SECTIONS

1- Short title

2- Definitions

3- Eviction of unauthorised occupant

4- Recovery of rent or damages in respect of public premises

5- Finality of orders

6- Offences and penalty

7- Liability of heirs and legal representatives

8- Recovery of rent, etc, as arrears of Land Revenue

9- Bar of jurisdiction

10- Protection of action taken in good faith

11- Power to make Rules

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (कतिपय अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली), अधिनियम, 2010[1]

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2010)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

लखनऊ स्थित और राज्य सम्पत्ति विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी भू-गृहादि से गैर सरकारी संगठनों, राजनैतिक दलों, सोसाइटियों, न्यासों, व्यवसाय संघों , कर्मचारी संघों तथा राजनैतिक दलों की इकाइयों या अग्रणी, संगठनों के अप्राधिकृत अध्यासियों या गैर सरकारी व्यभक्तियों की बेदखली करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम	1 – यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (कतिपय अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 2010 कहा जाएगा ।
परिभाषाएँ	2- जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,- (क) "कर्मचारी संघ या व्यक्तियों के किसी निकाय का तात्पर्य" किसी कर्मचारी संघ या व्यक्तियों के किसी निकाय चाहे, नियमित हो या न हो, से है; (ख) "राज्य सम्पत्ति अधिकारी" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य सम्पत्ति विभाग के प्रभारी अधिकारी से है ; (ग) "लखनऊ" का तात्पर्य लखनऊ विकास प्रधिकरण की अधिकारिता के भीतर के क्षेत्र से है; (घ) "गैर सरकारी संगठन" का तात्पर्य, ऐसे किसी संगठन, चाहे नियमित या पंजीकृत हो या न हो, से है; (ड़) "गैर सरकारी व्यक्ति" का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है जो सरकारी सेवक न हो या किसी सोसाइटी, न्यास या व्यक्तियों के किसी निकाय, चाहे नियमित हो या न हो, का पदधारक या प्रतिनिधि न हो; (च) "इकाई या अग्रणी अथवा अन्य संगठन" का तात्पर्य किसी राजनैतिक दल, चाहे मान्यता प्राप्त हो या न हो, के किसी इकाई या किसी अग्रणी अथवा किसी अन्य संगठन से है; (छ) "राजनैतिक दल" का तात्पर्य ऐसे किसी दल से है जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त न हो; (ज) "सार्वजनिक भू-गृहादि" का तात्पर्य ऐसे भू-गृहादि से है जो लखनऊ और उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य सम्पत्ति विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन राज्य सरकार का हो या पट्टे पर लिया गया हो या उसके द्वारा या उसकी ओर से अधिग्रहीत किया गया हो;

1. उद्देश्ये और कारणों के विवरण के लिए उ0 प्र0 असाधारण गजट दिनांक 05.03.2010 देखें। (दिनांक 05.03.2010 से प्रवृत्ती)

	(झ) "किराया" का तात्पर्य किसी सार्वजिनिक भू-गृहादि के सम्बन्ध में, उक्त भू-गृहादि के प्राधिकृत अध्यासन के लिए निश्चित अन्तरालों में देय प्रतिफल से है, और उसमें निम्नलिखित सम्मिलित है- **(एक)** भू-गृहादि में अध्यासन करने के सम्बन्ध में पानी या किसी अन्य सेवा के लिए अथवा किसी अन्य सम्भरित वस्तु के लिए कोई परिव्यय, **(दो)** भू-गृहादि के सम्बन्ध में संदेय कोई कर (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये); (ञ) "सोसाइटी" का तात्पर्य सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1860 के अधीन पंजीकृत किसी सोसाइटी से है; (ट) "व्यवसाय संघ" का तात्पर्य व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के अधीन पंजीकृत किसी व्यापार संघ से है; (ठ) "न्यास" का तात्पर्य भारतीय न्यास अधिनियम, 1888 के अधीन पंजीकृत किसी न्यास से है; (ड) "अनधिकृत अध्यासन" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अनधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 में यथा परिभाषित अनधिकृत अध्यासन से है।
अनाधिकृत अध्यासी की बेदखली	3- यदि किसी गैर सरकारी संगठन, राजनैतिक दल, सोसाइटी, न्यास, व्यवसाय संघ, कर्मचारी संघ या व्यक्तियों के किसी निकाय, इकाई या अग्रणी अथवा अन्य संगठन और गैर सरकारी व्यक्ति, जिसके उपयोगार्थ लखनऊ में उत्तर प्रदेश के राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवास उपलब्ध कराया गया हो, के पास आंवटन अवधि या उस हैसियत से जिस हैसियत से ऐसे आवास का अधिभोग करने की अनुमति दी गयी थी । की समाप्ति के पश्चात किसी आवास का अध्यासन हो तो राज्य सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, लिखित नोटिस द्वारा ऐसे व्यक्ति से उक्त आवास को 15 दिन के अन्तर्गत रिक्त करने की अपेक्षा कर सकता है, और यदि ऐसा व्यक्ति उक्त अवधि के अन्तर्गत उक्त आवास को रिक्त करने में विफल रहता है तो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी उक्त आवास का कब्जा प्राप्त कर सकता है और इस प्रयोजनार्थ ऐसे बल का उपयोग कर सकता है जैसा परिस्थितिवश आवश्यक हो ।
सार्वजनिक भू—गृहादि के सम्बन्ध में किराया या क्षतियों की वसूली	4-(1) जहां किसी गैर सरकारी संगठन, राजनैतिक दल सोसाइटी, न्यास, व्यवसाय संघ, कर्मचारी संघ या व्यक्तियों के किसी निकाय, इकाई या अग्रणी अथवा अन्य संगठन और गैर सरकारी व्यक्ति के पास किसी सार्वजनिक भू- गृहादि के सम्बन्ध में संदेय तीन माह का किराया बकाया हो वहां इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, नोटिस द्वारा सम्बन्धित अध्यासी से नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के अन्तर्गत ऐसे बकाया का भुगतान करने की अपेक्षा कर सकता है और यदि सम्बन्धित अध्यासी ऐसे बकाये का भुगतान करने में विफल रहता है तो सम्बन्धित परिसर को अनाधिकृत अध्यासन समझा जाएगा । (2) जहां किसी गैर सरकारी संगठन, राजनैतिक दल, सोसायटी, न्यास, व्यवसाय संघ या कर्मचारी संघ या व्यक्तियों के किसी निकाय, इकाई या अग्रणी अथवा अन्य संगठन, गैर सरकारी व्यक्ति के पास किसी सार्वजनिक भू-गृहादि का अनाधिकृत अध्यासन हो या किसी समय रहा हो वहां राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, नोटिस द्वारा अनधिकृत अध्यासी से ऐसी क्षतियों का भुगतान करने की अपेक्षा कर सकता है जिस निमित्त

	उसे नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उत्तरदायी पाया गया हो ।
आदेशों की अन्तिमता	5- इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार या किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा और उस पर किसी मूलवाद, आवेदन पत्र या निष्पादन कार्रवाही में आपत्ति नहीं की जायेगी और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुश्रवण में की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाही के सम्बन्ध में किसी न्यायालय, या अन्य प्राधिकारी द्वारा, कोई भी व्यादेश नहीं दिया जायेगा ।
अपराध और शास्ति	6-(1) यदि कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन किन्ही सार्वजनिक भू-गृहादि से बेदखल किया गया हो, उन भू-गृहादि पर फिर से अध्यासन, ऐसे अध्यासन के लिए बिना किसी प्राधिकार के कर ले, तो वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष की हो सकती है, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकता है अथवा दोनों से दण्डनीय होगा । (2) कोई मजिस्ट्रेट, जो उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति सिद्ध दोष ठहराये, उस व्यक्ति को सरसरी तौर से बेदखल करने का आदेश दे सकता है और किसी अन्य कार्रवाही पर, जो उसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डालें बिना वह व्यक्ति इस प्रकार बेदखल किये जाने का भागी होगा ।
वारिसों तथा विधिक प्रतिनिधिओं के दायित्व	7- किसी व्यक्ति द्वारा राज्य सरकार को देय धनराशि, चाहे वह बकाया किराये या क्षतिपूर्ति को रूप में हो, का भुगतान उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उनके वारिसों या विधिक प्रतिनिधियों द्वारा किया जायेगा, किन्तु उनका दायित्व मृतक की परिसमप्तियों जो उनकों प्राप्त हुई हों और जिनका यथाविधि निस्तारण न किया गया हो, के परिणाम तक ही सीमित होगा ।
भू-राजस्व के बकाया के रूप में किरायें आदि की वसूली	8- यदि कोई व्यक्ति धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन देय बकाया किराया या उपधारा (2) के अधीन देय क्षति की धनराशि उससे सम्बन्धित नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर, यदि कोई हो, भुगतान करने से इनकार करें या भुगतान न करे तो राज्य सम्पत्ति अधिकारी कलेक्टर को देय धनराशि के बारे में एक प्रमाण-पत्र जारी कर सकेंगे जो भू-राजस्व के बकाया के रूप में उसकी वसूली के लिए कार्यवाही करेगा ।
अधिकारिता का वर्जन	9- किसी न्यायालय को किसी ऐसे व्यक्ति की बेदखली के सम्बन्ध में जिसका किसी सार्वजनिक भू-गृहादि पर अप्राधिकृत अध्यासन है, या किराया अथवा क्षतिपूर्ति की वसूली के सम्बन्ध में, किसी वाद या कार्यवाही को ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी ।
सद्भावाना से किये गये कार्य का संरक्षण	10- राज्य सरकार के विरूद्ध ऐसी किसी भी बात के सम्बन्ध में जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किसी नियम अथवा दिये गये किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावना से की गयी हो या किये जाने के लिए आशयिता हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेंगी ।
नियम बनाने की शक्ति	11-(1) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है । (2)- इस अधिनियम के अधीन बनाये गये प्रत्येक नियम को, उसके बनाये जाने के यथा शीघ्र

	बाद, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र, दो सत्र या उससे अधिक लगातार सत्रों का हो सकता है, रखा जायेगा और यदि उपर्युक्त अवधि में दोनों सदन उक्त नियम में कोई उपान्तर करने के लिए सहमत हो या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हों कि नियम बनाया जाए तो इसके पश्चात उक्त नियम यथास्थिति ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी या निष्प्रभावी हो जायेगा किन्तु ऐसे उपान्तर या निष्प्रभावीकरण का उक्त नियम के अधीन पहले से कृत किसी कार्य की विधि मान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।